40

43

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

रिव्यू / 1/2016 Rev-3282-I-16

1- अशोक सिंह
पुत्र श्री डोंगर सिंह
निवासी गनेश गार्डन
गदाईपुरा, ग्वालियर

2- अनुराग दीक्षित पुत्र श्री गिरिशकुमार
राजेन्द्र प्रसाद कॉलोनी, तानसेन रोड
ग्वालियर (म०प्र०) ---- प्रार्थीगण

बनाम

(1) इशहाक मोहम्मद पुत्र श्री बशीर खॉ
निवासी– बालापुरा, श्योपुर (म.प्र.)

(2) जगपाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
(3) शांति देवी
(4) श्याम कुमार गर्ग पुत्र श्री केदार लाल गर्ग
(5) अंग्रेज सिंह पुत्र श्री भजन सिंह
(6) धन्नालाल पुत्र श्री छोटेलाल
निवासीगण– श्योपुर तहसील व
जिला श्योपुर (म.प्र.)

----- प्रतिप्रार्थीगण

(7) खुशवन्त सिंह पुत्र श्री शादीराम
निवासी– श्योपुर हाल निवास
कोलम्बिया

---- फोरमल प्रतिप्रार्थी

म. प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य महोदय (श्री एन. के. सिंह) के द्वारा निगरानी क्रमांक 3064/1/2016 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2016 के निर्णय के विरूद्ध पुनरावलोकन ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थी की ओर से पुनरावलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, प्रतिप्रार्थी क्रमांक 7 की माँ गुरूशरण पत्नी शादीराम के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर कुल किता 17 रकवा 63 बीघा 3 विस्वा भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेख में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 7 की माँ के नाम से थी

क्रमशः.................2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3282/एक/16 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक की ओर से श्री विनोद श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3064/एक/16 में पारित आदेश दिनांक 09.09.16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 3282/एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 3064/एक/16 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 09.09.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण क्रमांक 3282/एक/16 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

प्रकरण कमांक रिव्यू 3282/एक/16

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य